न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 215/2016

गुरदीपसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 9. जी बी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसील श्री विजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 76 रा.भू.अधि. 1955

विरूद्व आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ

दिनांक 29.05.2013

उपस्थिति

श्री तेजासिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री इकबालसिंह सिद्धु, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 11.08.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार श्रीविजयनगर ने राजस्थान उपनिवेशन अधि. की धारा 22 में अपीलार्थी को चक 9 जी बी के प. न. 138/401 की 0.244 है. रकबा राज भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने तावान कायम करने के आदेश दिये गये । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील संख्या 306/2013 अति0कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की जो सुनवाई के बाद दिनांक 29.05.2013 को अस्वीकार की गई । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में आदेश पारित नहीं किया है जबकि अधी.न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करना चाहिए था । अपीलाधीन आदेश की जानकारी

11/8/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वकील द्वारा नहीं दी गई एवं जानकारी पटवारी हल्का से होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए तहसीलदार ने बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्ध अति.कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में अपीलांट ने अपील पेश की जो खारिज की गई। अपीलांट का रकबा राज पर बतोर अतिक्रमी कब्जा काश्त था । जिस पर अतिक्रमी मानते हुए नायब तहसीलदार ने आदेश पारित किया जिसकी अपील अति.कलेक्टर द्वारा भी खारिज की गई है। अपीलांट का विवादित भूमि पर साधिकार कब्जा नहीं है।ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.05.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया हैं ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति. कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 29.05.2013 को खारिज की गई हैं विवादित भूमि अपीलांट ने अपना साधिकार कब्जा काश्त न तो अधी.न्यायालय में और न ही इस न्यायालय में साबित किया हैं ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2017 को खुले न्यायालय मुं सुनाया गया ।

11/8/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

एक्ट के तहत